HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 4430/2026

Vijay Goyal S/o Shri Harish Chandra Goyal, Aged About 69 Years, R/o Plot No. 11, Gopal Nagar-A, Gopalpura Bypass, Jaipur Rajasthan. (Presently The Accused Petitioner Is Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

Central Bureau Of Investigation, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. P.C. Sharma through VC Ms. Arpita Joshi through VC
For Respondent(s)	:	Mr. Pradeep Kumar Choudhary, Spl. PP for CBI

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

30/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4430/2026 अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC 03025 A 0015 पुलिस थाना सी.बी.आई. जयपुर, जिला जयपुर में अंतर्गत धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7, 7A, 8, 9, 10 एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन) अधिनियम 2018 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता श्री हरिशचंद्र 93 वर्ष के हैं और प्रोस्टेट कैंसर व अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं वह दिनांक 23.03.2026 से रूक्मणी बिरला अस्पताल में भर्ती है और उनकी किडनी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वे गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी दयनीय स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त जो करीबन 70 वर्षीय व्यक्ति है जो अपने पिता का एक मात्र पुत्र है पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। 30 दिवस का अंतरिम

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार जावे, जिससे वह अपने पिता की देखभाल कर सके। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गवाहों को डराने–धमकाने का कोई अंदेशा और न ही उनका उद्देश्य कोई आपराधिक कृत्य किए जाने का है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व विभिन्न न्यायालयों ने ऐसे प्रकरणों में अंतरिम जमानत का लाभ प्रदान किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Satyendra Kumar Jain Vs Directorate of Enforcement SLP (Crl.) No(s) 6561 of 2023 Order Dated 26.05.2023

2. Subrata Bhattacharya Vs. Securities and Exchange Board of India

   Civil Appeal Nos. 13301/2025 & Ors. Order Dated 13.03.2019

3. Chander Prakash Wadhwa Vs. State (NCT of Delhi) & Anr. Misc. Application No 344/2023 order dated 29.03.2023

4. Happy Kapoor Vs. State NCT of Delhi Bail Appl. 93/2026 Order Dated 17.02.2026

5. Karan Singh Vs State of Rajasthan SB Cri. Misc. (Interim) Bail Appl. No. 5823/2021 Order Dated 25.06.2021

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र नहीं हो या जो हरिशचंद्र गोयल की देखभाल कर सकते हो या प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी अनपढ़ हो तथा वह प्रार्थी/अभियुक्त के पिता की देखभाल नहीं कर सकती हो, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। इसके अतिरिक्त जो केस विवरण प्रस्तुत किया गया है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता वेंटीलेटर पर हो या उनकी स्थिति खराब हो। मृदुल गोयल हरिशचंद्र गोयल का पुत्र है, जो उनकी देखभाल कर सकता है,

अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के पिता का 93 वर्षीय होना बताया गया है। जो चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार दिनांक 23.03.2026 से 4th Floor General Ward में प्रार्थी/अभियुक्त के पिता रूक्मणी बिरला अस्पताल में भर्ती है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार उनके प्रोस्टेट कैंसर होना बताया गया है तथा प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेज के अनुरूप किडनी व अन्य बीमारियां प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त उसके पिता के अन्य पुत्र या प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र हरिशचंद्र की देखभाल करने की स्थिति में हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सामने नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चयों व दिल्ली उच्च न्यायालय व इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय में विर्निदिष्ट सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के 93 वर्षीय होने, अस्पताल में भर्ती होने व प्रोस्टेट कैंसर होने व अन्य बीमारियों से ग्रसित होने के तथ्य व मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को 25 दिवस की अवधि के लिए अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे। वह जमानत पर रिहा होने की दिनांक से 25 दिवस की अवधि में स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत पर आजाद कर दिया जाएगा :–

1. कि प्रार्थी गवाहों को डराएगा या धमकाएगा नहीं।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

3. कि प्रार्थी विधि–विरुद्ध कार्यों में अंतर्वलित नहीं होगा।

तद्नुसार यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 स्वीकार किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

1-Nitin Jagtiani/sandeepJ/-